रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 1995/कार्तिक 26, 1917
No. 478] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 1995/KARTIKA 26, 1917

जल-परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1995

सा.का.नि. 753(अ).—केन्द्र सरकार महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा पारादीप पत्तन के लिए पारादीप पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[सं. पी.आर.-12016/33/94-पी.इ-1]
चरण सिंह, खैरवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची

पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 1995।

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास की न्यासी बोर्ड इसके द्वारा पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) विनियम 1967 का संशोधन करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. लघुशीर्ष और प्रारंभ :—

ये विनियम पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 1995 कहलाएंगे।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) विनियम, 1967 की विनियम 2 की उप विनियम (घ) (इसके पश्चात् मुख्य विनियम के रूप में संदर्भित होगे) अब से मुख्य विनियम की विनियम 2 की (घ) (1) के रूप मे पढ़ी जाएंगी। उक्त उप विनियम के नीचे निम्नलिखित परिभाषा सम्मिलित होंगी एवं वह मुख्य विनियम 2 की उप विनियम (घ) (2) के रूप में पढ़ी जाएंगी।

(घ) (2) "जांच प्राधिकारी" का अर्थ एक व्यक्ति अथवा पारादीप पत्तन न्यास राज्य या केन्द्र सरकार का एक अधिकारी अथवा केन्द्र या राज्य सरकार का एक निवृत्त अधिकारी अथवा एक निवृत्त न्यायाधीश जोकि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दुराचार की जांच के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

4. मुख्य विनियम की विनियम 10 की उप विनियम (2) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी सम्मिलित होगी ।

टिप्पणी : —"जांच प्राधिकारी" का अर्थ वही होगा जैसाकि विनियम 2 की उप विनियम (ब) (2) में स्पष्ट किया गया है :

पाद टिप्पणी : — पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) विनियम 1967 भारत के राजपत्र दि. 1-11-1967, जी.एस.आर. सं -1675 में प्रकाशित किये गये तथा उसके पश्चात् निम्न संशोधन हुए:—

(1) प्रथम संशोधन अर्थात् पारादीप पत्तन कर्मचारी (व नि एवं अ) (संशोधन) विनियम 1975 भारत के राजपत्र दि. 1-2-1975 जी एस. आर. सं -609 में प्रकाशित किये गये ।

(2) द्वितीय संशोधन अर्थात्, पारादीप पत्तन कर्मचारी-- (व.नि. एवं अ) (संशोधन) विनियम 1984 भारत के राजपत्र दि. 12-12-1984 जी.एस आर. स. 813 (ई) में प्रकाशित किये गये ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1995

G.S.R. 753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 1995, made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016|33|94-PE.I]

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip make the following regulations to amend the "Paradip Port Employees (Clasification, Control and Appeal) Regulations, 1967", subject to the approval of the Central Government under Sub-section (i) of Section 124 of the said Act :—

1. (i) Short title and commencement.—This Regulations may be called 'Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 1995.

(ii) The said Regulations shall come into force on the date of publication of notification in the Official Gazette.

2. The sub-regulation (d) of regulation 2 of "Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1967" (hereinafter referred to as the Principal Regulations) shall hencefor'h be read as sub-regulation (d) (i) of regulation 2 of the Principal regulations. The following definition shall be incorporated below the said sub-regulation and the same shall be read as sub-regulation (d) (ii) of regulation 2 of Principal regulations :

"(d)(ii) 'Enquiring Authority' means a person or an Officer of Paradip Port Trust or State or Central Government or a retired Officer of Central or State Government or a retired Judge, as may be appointed by the disciplinary authority to enquire into the misconduct."

3. Under sub-regulation (2) of regulation 10 of principal regulations, the following Note shall be incorporated :—

'Note : "Enquiry Authority" shall have the same meaning as defined in sub-regulation (d) (ii) of regulation 2'.

Foot Note.—Principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 1675 dated 01-11-1967 and subsequently amended vide :—

(i) GSR No. 609 dated 01-02-1975,

(ii) GSR No. 813 (E) dated 12-12-1984.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995